भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 787
(25 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी में बढ़ोत्तरी

787. श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संसदीय समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने हेतु संस्तुति दी है;

(ख) मनरेगा मजदूरों के वेतन में हाल ही में हुए संशोधन का ब्यौरा क्या है , जिसमें उक्त संशोधन के कार्यान्वयन की तिथि और वेतन वृद्धि की सीमा भी शामिल है;

(ग) तय नियमों के अनुसार मनरेगा मजदूर एक वर्ष में कितने दिनों के कार्य के हकदार हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत मजदूरी दरों में संशोधन के संबंध में सिफारिशें दी हैं।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को देय मजदूरी में हाल ही में किए गए संशोधन के संबंध में , यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य हेतु मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार , ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों को मुद्रास्फीति की प्रतिपूर्ति हेतु ,

ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रतिवर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है।

उपरोक्त पद्धति का उपयोग करते हुए , केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित मजदूरी दर को संशोधित किया है , जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में लगभग 5% (औसत) अधिक है। नवीनतम संशोधित अधिसूचित मजदूरी दर 1 अप्रैल, 2025 से लागू कर दी गई है। हालाँकि, राज्य सरकारें अपने संसाधनों से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकती हैं।

(ग) और (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारिरीक श्रम करने के इच्छुक हो , को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का एक अधिनियम है।

मंत्रालय ने वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को अतिरिक्त 50 दिन (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) का मजदूरी रोजगार प्रदान करने का अधिदेश भी दिया है , बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) , 2006 के तहत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

इसके अतिरिक्त, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अलावा , अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से परे अतिरिक्त दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकती हैं।

****